बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,

झाँसी

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक

दिनांक 08-07-2019 की कार्यवाही

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय,झाँसी

दिनांक 08.07.2019 को मध्याह्न 12:00 बजे आहूत कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक की कार्यवाही–

उपस्थिति –

1. प्रो. जे. वी. वैशम्पायन	–	कुलपति / अध्यक्ष
2. डा. दिलीप वि. सरदेसाई	–	कुलाधिपति नामित सदस्य
3. डा. विजय खैरा	–	कुलाधिपति नामित सदस्य
4. प्रो. हरीभाऊ गोपीनाथ खांडेकर	–	कुलाधिपति नामित सदस्य
5. प्रो. शिवकुमार कटियार	–	सदस्य
6. प्रो. अर्चना वर्मा	–	सदस्य
7. प्रो. एम. एम. सिंह	–	सदस्य
8. डा. मुन्ना तिवारी	–	सदस्य
9. डा. आलोक वर्मा	–	सदस्य
10. डा. रितु सिंह	–	सदस्य
11. डा. संजय निबौरिया	–	विशेष आमंत्री सदस्य
12. प्रो. एम. एम. सिंह	–	कार्यवाहक वित्त अधिकारी
13. श्री अजय कृष्ण यादव	–	कार्यवाहक कुलसचिव / सचिव

कार्यवाही –

बैठक के प्रारम्भ में शासन के पत्र संख्या 597/सत्तर–1–2019–16(57)/2018 दिनांक 27.10.2019 द्वारा लखनऊ से स्थानान्तरित होकर विश्वविद्यालय में नियुक्त हुए परीक्षा नियंत्रक श्री अजय कृष्ण यादव को कार्यभार ग्रहण करने की बधाई दी तथा उनका स्वागत किया गया।

01(क) विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06.07.2019 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 06.07.2019 एवं परीक्षा समित की बैठक दिनांक 03.07.2019 द्वारा स्वीकृत निम्न दो बिन्दुओं पर अनुमोदन प्रदान किया।

(1.1) कुछ प्रश्न–पत्रों को पूर्णरुपेण वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय (MCQ) आधार पर तैयार करना जिससे उनका मूल्यांकन (OMR) पद्धति से हो सके। इसके लिये परिषद् ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों क्रमशः कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, गृहविज्ञान, विज्ञान संकाय– गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य संकाय– वाणिज्य, उपरोक्त विषयों में उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या अधिक होने के कारण मूल्यांकन में शिक्षकों की कमी को दूर करने

हेतु उक्त पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के सभी विषयों के एक--एक प्रश्नपत्र को तथा वाणिज्य के दो प्रश्नपत्रों को OMR द्वारा मूल्यांकित होने हेतु बहुविकल्पीय प्रश्नपत्र तैयार करने का अनुमोदन किया गया।

(1.2) स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में प्रायोगिक परीक्षा के अंकों में संशोधन करने पर विचार :–

परिषद् ने परीक्षा समिति तथा विद्या परिषद् द्वारा संस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया कि बी.एस–सी. के चार विषयों भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान की प्रायोगिक परीक्षाओं के प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के अंकों को 20 तथा तृतीय वर्ष के अंकों को 30 किया जाये। इस बिन्दु पर माननीय सदस्य डा. दिलीप वि. सरदेसाई ने अपनी असहमति व्यक्त की। परन्तु सम्यक विचारोपरान्त इसे परिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

(1.3) परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा संस्तुत गणित विभाग के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया। जिसके अनुसार सत्र 2019–20 से **Advanced Diploma in Data Science** नाम से एकवर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाय। इस पाठ्यकम के अध्यादेश (**Ordinances**) संलग्न हैं। यह पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना (**Self Finance Scheme**) के अन्तर्गत संचालित होगा।

01(ख) वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.07.2019 की कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

परिषद् द्वारा वित्त समिति की बैठक दिनांक 06.07.2019 की कार्यवाही का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। जिसके बिन्दु संख्या (2) पर प्रस्तुत नवीन पाठ्यकमों का शुल्क निर्धारण एवं छात्रावास शुल्क में निम्न प्रकार से वृद्धि का परिषद् द्वारा अनुमोदन किया गया–

(2) शुल्क निर्धारण/पुर्ननिर्धारण पर विचार।

(क) **विद्या परिषद की बैठक दिनांक 06.07.2019 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के गणितीय विज्ञान एवं अनुप्रयोग विभाग में स्व–वित्त पोषित योजनान्तर्गत प्रारम्भ होने वाले Advanced Diploma in Data Science के शुल्क निर्धारण पर विचार।**

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 06.07.2019 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय के गणितीय विज्ञान एवं कम्प्यूटर अनुप्रयोग विभाग में स्व–वित्त पोषित योजनान्तर्गत एक वर्षीय पाठ्यकम Advanced Diploma in Data Science प्रारम्भ किया जाना है। उक्त पाठ्यकम की शुल्क रू0 50,000/– निर्धारित किये जाने के अनुमोदन की समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी।

(ख) **विश्वविद्यालय के पुरूष/महिला छात्रावासों की शुल्क पुर्ननिर्धारण पर विचार।**

विश्वविद्यालय में अवस्थित पुरूष एवं महिला छात्रावासों की शुल्क का निर्धारण विगत कई वर्ष पूर्व किया गया था, जो कि आज तक प्रभावी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के दृष्टिगत छात्रावासों की शुल्क का पुनरीक्षण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, क्योंकि विद्युत दरें, जनरेटर डीजल की दरें, अनुरक्षण की दरों आदि में अत्यधिक वृद्धि हो गयी है। अतएव निम्न विवरणानुसार शुल्क पुनरीक्षण का प्रस्ताव है –

Previous Hostel Fees

1. Admission Charges (To be Paid Once at the time of Admission Only)

Sr. No.	Particular	Previous Hostel Fees/ Charges	Proposed Revised Hostel Fees/ Charges
1	Security (Refundable)	2000 Room & Mess Security	3000 Room & Mess Security
2	Common Facilities/Fixtures	1500	2000

3	Development Fees	1500	2000
4	Maintenance Fees	2000	3000
	Total	7000	10000

2. Semester Charges (To be Paid Every Six Months)

Sr. No.	Particular	Previous Hostel Fees/ Charges	Proposed Revised Hostel Fees/ Charges
1	Room Rent	2400	4800
2	Electricity & Water Charges	2000	2200
3	Generator Facility Charges	800	1200
	Total	5200	8200

Proposed Revised Hostel Fees w.e.f. Academic Session 2019-20

The First Time Payment at the time of admission will we 1+2 = Rs. 18200/- The Fee For the Subsequent Years Rs. 8200/- per semester = Rs. 16400/-p.a.

In Addition to the above, an amount Rs. 500/- per room shall be charged towards electricity charges for room coolers. The amount shall be payable for six months – April, May, July, August, September, October.

समिति द्वारा उक्तानुसार छात्रावासों के शुल्क पुनरीक्षण के अनुमोदन की संस्तुति प्रदान की गयी।

(ख)(1) विश्वविद्यालय में रिसर्च हेतु पंजीकृत छात्र/छात्राओं से विश्वविद्यालय के महिला छात्रावासों में निवास करने हेतु रू0 3,000/– मासिक प्रति छात्रा किराया लिये जाने की समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी।

(ख)(2) बैक पेपर एवं अन्य अकादमिक गतिविधियों हेतु विश्वविद्यालय के महिला छात्रावासों में जो छात्रायें निवास करतीं हैं, उनसे रू0 75/– प्रतिदिन के स्थान पर रू0 100/– प्रतिदिन किराया लिये जाने की समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई।

(ग) **विद्या परिषद की बैठक दिनांक 13.06.2018 के संकल्प संख्या 09 पर लिये गये निर्णयानुसार स्व–वित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में M.P.ES (02 Year/04 Sem) पाठ्यकम प्रारम्भ किये जाने के अनुमोदन दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित रू0 45,000/– प्रतिवर्ष पाठ्यकम शुल्क + रू0 4000/– परीक्षा शुल्क निर्धारण पर विचार।**

विद्या परिषद की बैठक दिनांक 13.06.2018 के संकल्प संख्या 09 पर लिये गये निर्णयानुसार स्व–वित्त पोषित योजनान्तर्गत संचालित विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में M.P.ES (02 Year/04 Sem) पाठ्यकम प्रारम्भ किये जाने के अनुमोदन दिये जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित पाठ्यकम शुल्क प्रतिवर्ष रू0 45,000/– + रू0 4000/– परीक्षा शुल्क निर्धारण का परिषद् ने अनुमोदन प्रदान किया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक सम्पन्न हुई।

(अजय कृष्ण यादव) 08/7/19
कार्यवाहक कुलसचिव

8/7/19
(प्रो. जे. वी. वैशम्पायन)
कुलपति